(31)

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

रांची, दिनांक– 15/02/2007

संख्या / वि०वि०सं०–03–05 / 2006का0 742 / भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल वाहन चालक के पदों पर भर्ती और / प्रोन्नति का आधार एवं प्रक्रिया का निर्धारण करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :–

झारखण्ड वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्त्ते)नियमावली, 2006

अध्याय 1 : प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भः– (1) यह नियमावली झारखण्ड वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2006 कही जाएगी ।

(2) इसका विस्तार राज्य सरकार के सचिवालय, विभागों, संलग्न कार्यालयों एवं विभिन्न स्तर के मुफ्फसिल कार्यालयों तक रहेगा ।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएँ:– इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ के विरूद्ध न हो :–

(क) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत हैं झारखण्ड राज्य सरकार,

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

(ग) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है नियम–7 के अंतर्गत प्राधिकृत प्राधिकार,

(घ) "कोटि" से अभिप्रेत है नियम–3 के अंतर्गत निर्धारित कोटि,

(ङ) "मेधा सूची" से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची ।

अध्याय 2 : पद / कोटि

3. वाहन चालक के पद / कोटिः–(क) विभिन्न वेतनमानों में वाहन चालक के पदों का नामकरण निम्नरूपेण होगा : –

(i) रू. 3050–4590 / – वाहन चालक (साधारण कोटि)

(ii) रू.4000–6000 / – वाहन चालक (कोटि–II)

(iii) रू.4500–7000 / – वाहन चालक (कोटि–I)

(ख) विभिन्न कोटियों में पदों की संख्या निम्नांकित अनुपात में रखी जाएगी :–

(i) साधारण कोटि (3050–4590 / –)	55 प्रतिशत
(ii) कोटि II (4000–6000 / –)	25 प्रतिशत
(iii) कोटि – I (4500–7000 / –)	20 प्रतिशत

(50)

(ग). उपर्युक्त रूप में अनुपात निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ, वाहन चालकों के पदों की कम संख्या को ध्यान में रखते हुए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा विभागों/संलग्न कार्यालयों को आवश्यकतानुसार संलग्न सूची के अनुसार समूहों में बाँट कर प्रत्येक समूह के लिए एक नोडल विभाग घोषित कर दिया गया है । इसी प्रकार प्रत्येक प्रमंडल के मुफ्फसिल कार्यालयों के लिए नोडल पदाधिकारी संबंधित प्रमण्डल के प्रमण्डलीय आयुक्त रहेगें ।

(घ) विभागों /संलग्न कार्यालयों के वाहन चालकों की प्रोन्नति उप नियम (ग) में अंकित प्रत्येक विभागों के समूह के लिए निर्धारित वरीयतानुसार नोडल विभाग द्वारा ही विचारित होगी । मुफ्फसिल कार्यालयों के वाहन चालकों की प्रोन्नति प्रत्येक प्रमण्डलवार निर्धारित वरीयतानुसार नोडल पदाधिकारी द्वारा विचारित होगी।

(ङ) भर्ती/प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण के प्रावधान लागू होगें ।

(च) वाहन चालक के पद समूह"ग" (ग्रुप 'सी'/वर्ग–3) के पद माने जाएँगें ।

अध्याय 3 : भर्ती

4. भर्ती :– (क) साधारण कोटि (3050–4590/–) के पदों को सीधी भर्ती द्वारा आयोग की अनुशंसा के आधार पर भरा जाएगा ।

(ख) (i) उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक होगी ।

(ii) वाहन चालन का उन्हे वैध लाइसेन्स (अनुज्ञप्ति) प्राप्त रहना आवश्यक होगा ।

(iii) यातायात विनियमन की उन्हें अच्छी जानकारी रहना आवश्यक होगा ।

(iv) वाहन की उन्हें सामान्य मरम्मति की जानकारी रहना आवश्यक होगा ।

(v) वाहन चालन हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार उनका स्वस्थ रहना आवश्यक होगा।

(ग) उम्मीदवार की न्यूनगतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जैसा कि सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय ।

(घ) अर्हता के परीक्षण के लिए उम्मीदवारों को नियम 4 (ख) पर आधारित वाहन चालन एवं वाहन की सामान्य जानकारी की जाँच में सम्मिलित होना पड़ेगा जिसके लिए कुल पूर्णांक 100 होगा । जाँच परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी और उसी सूची के आधार पर आयोग संबंधित विभाग/कार्यालय को अनुशंसा कर सकेगा । उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के लिए कोई अधिमानता नहीं दी जाएगी ।

(ङ) दैनिक पारिश्रमिक पर कार्यरत वाहन चालक को नियम 4 (ख) में निर्धारित अहर्ताओं के पूरा करने पर और उनके द्वारा आवेदन करने एवं जाँच में सम्मिलित होने पर राज्य सरकार द्वारा नियमितीकरण के लिए निर्धारित प्रक्रियानुसार अधिमानता दी जाएगी ।

आरक्षण:– रिक्तियों का आकलन प्रत्येक वर्ष करने के पश्चात् ही वास्तविक एवं संभावित रिक्तियों के अनुसार रोस्टर पंजी क्लीयर कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को संबंधित नोडल विभाग/नोडल पदाधिकारी द्वारा भेजी जाएगी ।

(29)

6. **मेधा सूची की वैधता** :– आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा सूची की वैधता एक वर्ष तक ही रहेगी। आयोग द्वारा उतने ही उम्मीदवारों की अनुशंसा की जाएगी जितने के लिए अधियाचना प्राप्त हुई हो। प्रतीक्षा पैनल नहीं रहेगा ।

7. **नियुक्ति प्राधिकार** :– अभियंत्रण/कार्य विभागों के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए संबंधित अभियंता–प्रमुख नियुक्ति प्राधिकार होगें । उनकी यह शक्ति किसी भी हालत में प्रत्यायोजित नहीं की जाएगी । जबकि अभियंत्रण/कार्य विभागों के मुख्यालय में विभागीय प्रधान सचिव/सचिव के अनुमोदन से उप सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति की जा सकेगी। अन्य विभागों में विभागीय प्रधान सचिव/सचिव के अनुमोदन से उप सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति की जा सकेगी। मुफ्फसिल कार्यालयों के सन्दर्भ में नियुक्ति प्राधिकार वहीं पदाधिकारी रहेगें जो पूर्व से नियुक्ति प्राधिकार घोषित हैं ।

8. **परीक्षणमान अवधि/सम्पुष्टि** :– (1) नियुक्ति के बाद दो वर्षो तक परीक्ष्यमान अवधि रहेगी । परीक्ष्यमान अवधि के सफलतापूर्वक पूरा करने तथा संपुष्टि के लिए निर्धारित जाँच में उत्तीर्ण होने पर सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा ।

(2) जाँच की व्यवस्था नियुक्ति प्राधिकार द्वारा की जाएगी । नियुक्ति के समय के लिए जो अहर्त्ताएँ निर्धारित हैं, उन्ही विन्दुओं पर सक्षमता की जाँच होगी ।

अध्याय 4 : प्रोन्नति

9. **प्रोन्नति** :– (1) साधारण कोटि (3050–4590) से उच्चतर कोटियों में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार निम्नांकित रूप में प्रोन्नतियाँ की जा सकेगी :–

(क) साधारण कोटि (3050–4590/–) से कोटि– II (4000–6000/–) में :– 25 प्रतिशत

(ख) कोटि - II (4000–6000/–) से कोटि– I (4500–7000/–) में :– 20 प्रतिशत

(2) **कालावधि** :– प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) द्वारा निर्धारित निम्नांकित कालावधि तथा समय–समय पर यथा पुनरीक्षित कालावधि के प्रावधान लागू होगें ।

(क) साधारण कोटि (3050–4590/–) से कोटि– II (4000–6000/–) में :– साधारण कोटि में 8 वर्ष की नियमित सेवा।

(ख) कोटि - II (4000–6000/–) से कोटि– I (4500–7000/–) में :– कोटि II में 5 वर्ष की नियमित सेवा।

(3) **विभागीय प्रोन्नति समिति** – सचिवालय स्तर पर विभाग समूहवार तथा मुफ्फसिल स्तर पर प्रमंडलवार विभागीय प्रोन्नति समिति गठित होगी । संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति विचारणीय होगी ।

(4) **सचिवालय स्तर पर विभाग**– समूहवार विभागीय प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष विभागीय समूह के मूलतः विभाग के विशेष सचिव/अपर सचिव अथवा वेतनमान रू. 14300–18300/– से अन्यून वेतनमान वाले पदाधिकारी होगें । समिति में दो अन्य सदस्य होगें जिनमें से एक संबंधित विभागीय